प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
गोमतीनगर, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 08 फरवरी, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 से संस्थान में निर्माणाधीन सी0एस0एस0डी0, किचेन, लाण्ड्री एवं नर्सेस हास्टल आदि के अवशेष निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2/2016/3428/71-2-15-आर0एम-31/2010 दिनांक 08 जनवरी, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 से डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में निर्माणाधीन सी0एस0एस0डी0, किचेन, लाण्ड्री एवं नर्सेस हास्टल आदि के अवशेष निर्माण हेतु रू0 71,08,000/- (रूपया इकहत्तर लाख आठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) अनुदान संख्या-83 से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्रारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
3) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
4) प्रायोजना हेतु निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 08 जनवरी, 2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संस्थान की होगी। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-3-2015 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा भवन निर्माण सम्बन्धी वित्तीय नियमों/परिनियमों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
7) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, डा0रा0म0लो0 आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक ‘‘4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जातियों के लिए विशेष घटक योजना-28-डा0 राममनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य''के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 एवं समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26/ब0प्र0-2015 दिनांक 27 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 17/2016/545(1)/71-2-16-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4) वित्त अधिकारी, डा0रा0म0लो0 आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
5) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ)।
6) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7) प्रबन्ध निदेशक/परियोजना अभियन्ता, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सपेड) लखनऊ।
8) प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।